प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक: 1680/2012

<u>याचिकाकर्ता</u>: संतोष कुमार देवांगन

विरुद्ध

<u>उत्तरवादीगण</u>: छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

निर्णय उद्घोषणा हेतु दिनांक 12 अप्रैल, 2012 को सूचीबद्ध करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ता/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक: 1680/2012

याचिकाकर्ता: संतोष कुमार देवांगन

विरुद्ध

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

उपस्थित : प्रतीक शर्मा, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता।

श्री वाई.एस. ठाकुर, उप महाधिवक्ता, राज्य/प्रत्यर्थी

क्रमांक 1 से 3 की ओर से।

(दिनांक 23 अप्रैल, 2012 को परिदत्त)

1. इस याचिका में, याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभागीय जांच आरंभ करने हेतु जारी कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 20 सितंबर, 2011 (अनुलग्नक पी/1), तथा आरोप-पत्र, आरोप की मदों तथा दस्तावेजों एवं साक्षियों की सूची के साथ है, को चुनौती दी गई है।

2. इस याचिका में अंतर्वलित वाद के न्यायनिर्णयन हेतु सुसंगत संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता सुसंगत समय पर डिप्टी कलेक्टर, रायगढ़ के रूप में कार्यरत था; उसके अनुसार उसे, अन्य बातों के साथ-साथ, नजूल अधिकारी का कार्य आबंटित किया गया था। याचिकाकर्ता आवेदनों के आधार पर नजूल कर का निर्धारण करने के लिए प्राधिकृत था और आपत्तियां मंगाने तथा विज्ञापन जारी करने की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात, नजूल कर निर्धारित किया जाता है। यह भी निवेदन है कि एक इंदर पाल सिंह भाटिया ने 19 जनवरी, 2005 को एक आवेदन किया जिसे राजस्व प्रकरण क्रमांक 31/अ-4/2004-05 के रूप में पंजीकृत किया गया और सम्यक प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात, संपूर्ण प्रकरण कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने, बदले में, 18 अगस्त, 2005 (अनुलग्नक पी/2) को अनुमोदन प्रदान किया। याचिकाकर्ता के विरुद्ध शिकायतें की गई थीं और दिनांक 03 मार्च, 2007 की शिकायत के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आधार पर अपर कलेक्टर, श्री एस.एल. रात्रे द्वारा एक जांच की गई। श्री रात्रे ने अपना जांच प्रतिवेदन 11 मई, 2007 को कलेक्टर, रायगढ़ को प्रस्तुत की, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सही नहीं थे और इस प्रकार, यह पाया गया कि कोई अनियमितता नहीं थी। प्रत्यर्थी क्रमांक 5 की शिकायत सही नहीं पाई गई और वह किसी सामग्री पर आधारित नहीं थी। तत्पश्चात, श्री ए.एन. एक्का, अपर जिला दंडाधिकारी, रायगढ़ द्वारा एक अन्य जांच की गई, जिन्होंने अपना प्रतिवेदन दिनांक 14.06.2007 द्वारा, यह अभिनिर्धारित किया कि शिकायत मिथ्या थी। नगर पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ द्वारा एक और जांच की गई, और संसूचना दिनांक 25.07.2007 द्वारा, उन्होंने भी पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ को सूचित किया कि श्री रात्रे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कोई त्रुटि नहीं थी और कोई अनियमितता नहीं पाई गई है। शासन ने इसके पश्चात, तत्कालीन नजूल अधिकारी, रायगढ़ द्वारा जांच किए जाने का निर्देश दिया, जिन्होंने 13 अगस्त, 2007 (अनुलग्नक पी/6) को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि अन्य व्यक्ति को अंतरित की गई नजूल भूमि के संबंध में याचिकाकर्ता का आचरण उचित नहीं था और आरोप सिद्ध हो गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शर्मा यह तर्क प्रस्तुत किया कि एक ही शिकायत के आधार पर उसी अवधि के दौरान जैसा कि पूर्वोक्त है, कई जाँचें की गईं। नज़ूल अधिकारी का 23 जून, 2009 का एक प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें यह निष्कर्ष दिया गया था कि नज़ूल भूमि के संबंध में नज़ूल कर का निर्धारण इंदर पाल सिंह के कहने पर किया गया था, जबकि उस पर कोई निर्माण नहीं था। राजस्व मंडल, बिलासपुर में शासन द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका को भी निरस्त कर दिया गया था। श्री शर्मा नें आगे यह तर्क किया कि 31 जुलाई, 2010 की कारण बताओ सूचना उन्हीं आरोपों के साथ-साथ नज़ूल भूमि पत्रक क्रमांक 53, भूखंड क्रमांक 2, क्षेत्रफल 24886 वर्ग फुट (अनुलग्नक पी/10) के संबंध में अन्य आरोपों के लिए जारी की गई थी, जिसका उत्तर याचिकाकर्ता द्वारा 06 सितंबर, 2010 (अनुलग्नक पी/11) को दिया गया था। उपरोक्त कारण बताओ सूचना और जवाब-दावा 09 दिसंबर, 2010 (अनुलग्नक पी/12) को आयुक्त, बिलासपुर संभाग को अग्रेषित किए गए थे। सूचना प्राप्त होने पर, कलेक्टर ने 13 अप्रैल, 2011 को आयुक्त को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें यह उल्लेख किया गया कि याचिकाकर्ता का आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

के नियम 3 के अंतर्गत परिभाषित अवचार की परिभाषा के अंतर्गत आता है। आयुक्त ने, कलेक्टर के दिनांक 13 अप्रैल, 2011 के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए, राज्य शासन को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। तत्पश्चात, राज्य शासन ने आरोप पत्र के साथ आक्षेपित कारण बताओ सूचना जारी की।

4. श्री शर्मा नें आगे यह तर्क प्रस्तुत किया कि कारण बताओ सूचना पूर्व में वर्ष 2009 (अनुलग्नक पी/14) में भी उन्हीं आरोपों पर तैयार की गई थी जिसका याचिकाकर्ता द्वारा उत्तर दिया गया था। अतः, आरोप पत्र के साथ कारण बताओ सूचना जारी करने तक की यह संपूर्ण वर्तमान कार्यवाही दूषित है और इसे दुर्भावनापूर्ण आशय से किया गया था। श्री शर्मा नें आगे यह तर्क दिया कि आक्षेपित कारण बताओ सूचना याचिकाकर्ता को प्रताड़ित करने के आशय से अत्यधिक विलंब के साथ जारी की गई थी और चूंकि नज़ूल कर अधिकारी के रूप में याचिकाकर्ता की कार्यवाही अर्ध न्यायिक कार्यवाही की प्रकृति की थी, इसलिए इसे विभागीय जाँच में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। विभिन्न प्राधिकारियों से बार-बार विभिन्न प्रतिवेदन मँगाना शक्ति के दुर्भावनापूर्ण प्रयोग के समान है। अपने तर्क के समर्थन में, श्री शर्मा नें उच्चतम न्यायालय द्वारा ए.एल. कालरा बनाम द प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[1] **ए.आई.आर. 1984 एस.सी. 1361**

में दिए गए निर्णय का अवलंब लिया है। आर.सी. सूद बनाम हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट राजस्थान एवं अन्य[2], जुन्जारराव भिकाजी नागरकर बनाम भारत संघ एवं अन्य[3], अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य बनाम टी.के. राजू[4], सुरथ चंद्र चक्रवर्ती बनाम पश्चिम बंगाल राज्य[5] और अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, कोल इंडिया लिमिटेड एवं अन्य बनाम अनंत साहा एवं अन्य[6]।

5. इसके विपरीत, राज्य/प्रत्यर्थी क्रमांक 1 से 3 की ओर से उपस्थित विद्वान उप-महाधिवक्ता श्री ठाकुर नें यह तर्क प्रस्तुत किया कि आरोप पत्र के साथ कारण बताओ सूचना कोई दंड आदेश नहीं है। मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें लोक धन को भारी हानि होना सम्मिलित है, यह आवश्यक था कि याचिकाकर्ता/अपीलार्थी को आरोपों के संबंध में सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करने के पश्चात जांच आयोजित कर सत्य का पता लगाया जाए। याचिकाकर्ता अपना पक्ष रखने, अपने साक्षियों का परीक्षण करने और जांच अधिकारी के समक्ष सुसंगत दस्तावेजों के अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---

[2] **ए.आई.आर. 1999 एस.सी. 707**

[3] **ए.आई.आर. 1999 एस.सी. 2881**

[4] **ए.आई.आर. 2006 एस.सी. 3504**

[5] **ए.आई.आर. 1971 एस.सी. 752**

[6] **(2011) 5 एस.सी.सी. 142**

6. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात, तथा संलग्न दस्तावेजों के परिशीलन पर, यह पाया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रकथित तथ्य जांच का विषय हैं। अतः, मामले के तथ्यों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस न्यायालय का यह मत है कि उपर्युक्त तथ्य याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रथम दृष्टया विद्वेष प्रकट नहीं करते हैं। यह सत्य है कि आरोपों के पक्ष और विपक्ष में कई प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए थे, तथापि, चूंकि आरोप लोक धन को भारी हानि से संबंधित है, इसलिए इस स्तर पर आरोप पत्र को निरस्त करना उचित नहीं होगा। आरोप पत्र युक्त कारण बताओ सूचना जारी करना न तो दंडात्मक है और न ही प्रतिकूल जिसके आधार पर याचिकाकर्ता द्वारा किए गए प्रकथनों के आधार पर इस स्तर पर आरोप पत्र युक्त कारण बताओ सूचना को निरस्त किया जा सके। यदि उपर्युक्त सभी तथ्यों को एक साथ भी देखा जाए, तो भी यह नहीं माना जा सकता कि जांच तुच्छ है और याचिकाकर्ता अनावश्यक रूप से पीड़ित होगा, क्योंकि अनुशासनात्मक जांच प्रारंभ करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. श्री शर्मा द्वारा जिस ए.एल. कालरा (उपर्युक्त) के मामले पर भरोसा किया गया है, वह भी उन आरोपों के संबंध में है जो अस्पष्ट हैं। उक्त मामला याचिकाकर्ता को उचित जांच के पश्चात हटाए जाने के बाद उत्पन्न हुआ

था। अतः, वर्तमान स्तर पर यह मामला भी विचाराधीन मामले के तथ्यों के लिए सुसंगत नहीं है।

9. आर.सी. सूद (उपर्युक्त) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह पाया था कि दो स्थानांतरित न्यायाधीशों की एक समिति गठित की गई थी जिसमें एक स्थानीय न्यायाधीश अकेले बैठकर ऐसे साक्षियों का समूह एकत्र कर रहे थे जिनका याचिकाकर्ता के प्रति द्वेष था और जिनका उसके विरुद्ध गवाही देना निश्चित था; यह निर्धारित किया गया था कि न्यायालय द्वारा की गई कार्रवाई सद्भावी नहीं थी और उत्पीड़न की श्रेणी में आती थी। वर्तमान याचिका में ऐसा कोई अभिकथन नहीं है और न ही इसे उत्पीड़न या प्रताड़ना का मामला माना जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. श्री शर्मा द्वारा जिस झुंझारराव भिकाजी नागरकर (उपर्युक्त) के मामले का अवलंब लिया गया है, वह इस प्राधिकार के संबंध में है कि क्या किसी अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी के विरुद्ध आरोप पत्र जारी किया जा सकता है। विचाराधीन मामले में, याचिकाकर्ता ने यह प्रश्न उठाया है कि वह एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी था, किंतु इसका निर्णय संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही के दौरान किया जा सकता है।

11. श्री शर्मा द्वारा जिस चेयरमैन एवं एम.डी. भारत पेट. कॉर्प. लिमिटेड एवं अन्य (उपर्युक्त) के मामले का अवलंब लिया गया है, वह मामला तब

उत्पन्न हुआ था जब विभागीय कार्यवाही में अपचारी कर्मचारी को दोषी पाया गया था। विचाराधीन मामले में, अभी तक कोई जांच कार्यवाही नहीं की गई है और मामला आरोप पत्र के साथ कारण बताओ सूचना जारी करने के चरण में है।

12. श्री शर्मा द्वारा जिस चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर, कोल इंडिया लिमिटेड एवं अन्य (उपर्युक्त) के मामले पर का अवलंब लिया गया है, वह भी विचाराधीन मामले के तथ्यों के लिए सुसंगत नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. सर्वोच्च न्यायालय ने स्पेशल डायरेक्टर एवं अन्य बनाम मोहम्मद गुलाम गौस एवं अन्य[7] के मामले में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

> **"5**. इस न्यायालय ने बड़ी संख्या में मामलों में उच्च न्यायालयों द्वारा ऐसी रिट याचिकाओं को स्वीकार करने की परिपाटी की निंदा की है, जिनमें कारण बताओ सूचनाओं की वैधानिकता को चुनौती देकर प्रस्तावित जांचों को बाधित किया जाता है और पक्षकारों की उपस्थिति एवं भागीदारी के साथ वास्तविक तथ्यों का पता लगाने की अन्वेषण प्रक्रिया को धीमा किया जाता है। जब तक उच्च न्यायालय इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि

[7] **ए.आई.आर. 2004 एस.सी. 1467**

प्राधिकारी के पास अन्वेषण करने के क्षेत्राधिकार का पूर्णतः अभाव होने के कारण वह कारण बताओ सूचना विधि की दृष्टि में पूर्णतः शून्य है, रिट याचिकाओ पर केवल आग्रह मात्र या नियमित प्रक्रिया के रूप में विचार नहीं की जानी चाहिए। रिट याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से कारण बताओ सूचना का उत्तर देने और रिट याचिका में उजागर किए गए सभी पक्षों को वहां प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। क्या कारण बताओ सूचना किसी विधिक आधार पर आधारित थी, यह एक क्षेत्राधिकार संबंधी प्रश्न है जिसे सूचना प्राप्तकर्ता द्वारा भी उठाया जा सकता है और ऐसे प्रश्नों का न्यायनिर्णयन व्यथित व्यक्ति द्वारा न्यायालय जाने से पूर्व, प्रारंभ में ही सूचना जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा किया जा सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. भारत संघ एवं अन्य बनाम कुनिसेट्टी सत्यनारायण[8] के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवलोकन किया है:

[8] **(2006) 12 एस.सी.सी. 28**

"13. इस न्यायालय के निर्णयों की एक श्रृंखला द्वारा यह भली-भांति स्थापित है कि सामान्यतः आरोप पत्र या कारण बताओ सूचना के विरुद्ध कोई रिट याचिका पोषणीय नहीं होती है; देखें: कार्यपालन अभियंता, बिहार राज्य आवास बोर्ड बनाम रमेश कुमार सिंह, स्पेशल डायरेक्टर बनाम मोहम्मद गुलाम गौस, उलगप्पा बनाम डिवीजनल कमिश्नर, मैसूर, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम ब्रह्म दत्त शर्मा, इत्यादि।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. साधारणतः कारण बताओ सूचना या आरोप पत्र के विरुद्ध रिट याचिका स्वीकार न करने का कारण यह है कि उस स्तर पर रिट याचिका को अपरिपक्व माना जा सकता है। केवल आरोप पत्र या कारण बताओ सूचना मात्र से वाद-कारण उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि

यह ऐसा कोई प्रतिकूल आदेश नहीं है जो किसी पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करता हो, जब तक कि इसे क्षेत्राधिकार विहीन व्यक्ति द्वारा जारी न किया गया हो। यह पूर्णतः संभव है कि कारण बताओ सूचना के उत्तर पर विचार करने के पश्चात या जांच कार्यवाही करने के बाद,

संबंधित प्राधिकारी कार्यवाही को समाप्त कर दे और/या यह निर्धारित करे कि आरोप स्थापित नहीं हुए हैं। यह सुस्थापित है कि रिट याचिका तब पोषणीय होती है जब किसी पक्ष के किसी अधिकार का उल्लंघन होता है। मात्र कारण बताओ सूचना या आरोप पत्र किसी के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। केवल तभी जब कोई दंड देने वाला या किसी पक्ष को अन्यथा प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला अंतिम आदेश पारित किया जाता है, तब ही माना जाएगा की कोई पक्षकार व्यथित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. रिट क्षेत्राधिकार एक विवेकाधीन क्षेत्राधिकार है और इसीलिए अनुच्छेद 226 के अंतर्गत ऐसी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग सामान्यतः कारण बताओ सूचना या आरोप पत्र को निरस्त करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

16. इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ अत्यंत दुर्लभ और असाधारण मामलों में उच्च न्यायालय आरोप पत्र या कारण बताओ सूचना को निरस्त कर सकता है, यदि यह पाया जाए कि वह पूर्णतः क्षेत्राधिकार विहीन है या किसी

अन्य कारण से पूर्णतः अवैध है। तथापि, सामान्यतः उच्च न्यायालय को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

15. अतः, उपर्युक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों से यह स्थापित होता है कि याचिकाकर्ता को कारण बताओ सूचना का उत्तर देना चाहिए और रिट याचिका में उजागर किए गए क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दों सहित सभी कदम संबंधित प्राधिकारी के समक्ष उठाने चाहिए, तथा इनका न्यायनिर्णयन प्रारंभ में कारण बताओ सूचना जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा ही किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. अतः, यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए सामग्री का अभाव हो या प्राधिकारी अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए सक्षम न हो।

17. उपर्युक्त विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, यह रिट याचिका गुण-दोष विहीन होने के कारण ग्राह्यता स्तर पर ही खारिज की जाती है।

हस्ता/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By: PURUSHOTTAM DWIVEDI

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur